संख्या-123/2026/I/1480435/2026/71-1002/69/2023

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनाँक 30 सितम्बर, 2026**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत के अंतर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया, चन्दौली एवं बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश के रूप में धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/बजट/पी0एफ0एम0एस0/2026-27/I/725628/2026, दिनांक 07.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (नर्सिंग अनुभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या-जेड.28015/89/2023-एन, दिनांक 28.07.2026 के क्रम में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया एवं चन्दौली में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु द्वितीय/अंतिम किश्त तथा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु प्रथम किश्त के रूप में (केन्द्रांश एवं राज्यांश) धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श प्लेटफार्म के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, चन्दौली एवं बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु अब तक निम्नानुसार धनराशि अवमुक्त की गयी है -

(रू0 लाख में)

क्र 0	कालेज का नाम	लागत	शासनादेश संख्या दिनांक/	अवमुक्त धनराशि		कुल योग
				केन्द्रांश	राज्यांश	
1	देवरिया	995.51	संख्या/516446/I/2024/32-2024/19/1002-71/2024, दिनांक 11.03.2024	200.00	-	
			संख्या /701721/I/2024/113-03-2023/44/3099-71/2024,		133.3333	

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			26.04.2024			
						योग -	**333.3333**
2	चन्दौली	993.45	संख्या/2024/36-I /516456/ 2024/3/1002-71/2024, दिनांक 11.03.2024	200.00	-	
			संख्या/822725/I/2024/160-2023/69/1002-71 /2024, दिनांक 16.12.2024		133.3333	
						योग-	**333.3333**
3	बुलन्दशहर	993.35	संख्या/1162835/1/2025/156-2024/18/1002-71/2025, 03.12.2025	200.00	133.3333	**333.3333**

मेडिकल कालेज, बुलन्दशहर हेतु अवमुक्त धनराशि कुल रू0 333.3333 लाख व्यय न हो पाने के कारण भारत कोष/राजकोष में जमा कर दिया गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्र सहायतित योजनान्तर्गत स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय यथा-देवरिया, चन्दौली एवं बुलन्दशहर में नर्सिंग कालेज की स्थापना हेतु निम्न तालिकानुसार (कालम-7 के अनुसार) कुल रू0 1655.63 लाख (केन्द्रांश रू0 993.38 लाख एवं राज्यांश रू0 662.25 लाख) (रू0 सोलह करोड़ पचपन लाख तिरसठ हजार मात्र) की धनराशि एस0एन0ए0 स्पर्श पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(रू0 लाख में)

क्र0	**ए0एस0एम0सी0 का नाम**	**परियोजना की लागत**	**अबतक अवमुक्त धनराशि (के0+रा0**	**भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि (केन्द्रांश)**	**प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य राज्यांश**	**कुल अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (केन्द्रांश+राज्यांश)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	देवरिया	995.51	333.3333	397.31	264.87	662.18 (अंतिम किश्त/द्वितीय)
2	चन्दौली	993.45	333.3333	396.07	264.05	660.12 (अंतिम किश्त/द्वितीय)
3	बुलन्दशहर	993.35	-	200.00	133.33	333.33 (प्रथम किश्त)
			योग-	**993.38**	**662.25**	**1655.63**

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण/भुगतान इसके पूर्व नहीं किया गया है। अर्थात् प्रकरण में प्रश्नगत धनराशि के भुगतान में द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।
5. प्रायोजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइड लाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. प्रश्नगत प्रकरण में यदि कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था स्वंय उत्तरदायी होंगे।
7. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बुलन्दशहर हेतु अवमुक्त धनराशि कुल रू0 333.3333 लाख को व्यय न हो पाने के कारण उक्त धनराशि भारत कोष/राजकोष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में महानिदशक/प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
8. सम्बन्धित मेडिकल कालेज द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु मूल प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक निर्गत शासनादेश में अंकित शर्तो का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 16,55,63,000 (रुपये सोलह करोड़ पचपन लाख तिरेसठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 4210031050128 राजकीय मेडिकल कालेज/स्वायत्तशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कालेज (के.60/रा.40-के.+रा.) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त विभाग के एफआईएनआरएमएस सिस्टम द्वारा उत्पन्न संख्या ई-3-120/दस-2026-27, दिनांक 25 सितम्बर, 2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या व तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया/चन्दौली/बुलन्दशहर।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, साइबर ट्रेजरी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 सिडको, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, सी0एण्ड डी0एस0, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
9. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।